पंजीकरण तिथि
01.05.2025 से
31.05.2025 तक

अधिकृत नोडल बैंक
पंजाब नेशनल बैंक यमुनापुरम
बुलन्दशहर

बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण

बुलन्दशहर

द्वारा विकसित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित शॉपिंग काम्पलेक्स में दुकान/व्यवसायिक स्पेस प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

आनलाईन एवं आफलाईन

RERA -APPROVED
UPRERAPRJ432050/04/2025

आवेदन फार्म एवं पंजीकरण पुस्तिका

हैल्पलाईन नं0 : 8196002925 (ट्रान्सपोर्ट नगर)

बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर
बुलन्दशहर–203001 उ0प्र0

1. **योजना का नाम :**
ट्रान्सपोर्ट नगर शॉपिंग कॉम्पलैक्स।

2. **योजना का कोड :**
ट्रान्सपोर्ट योजनाः–TPSC

3. **योजना का विवरण :**

(i) स्थिति :
पुरानी जी0टी0 रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित है। यह योजना पूर्णतः विकसित है।

(ii) दुकानों का प्रकार :
इस योजना में विभिन्न साइज की भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर दुकानें निर्मित है, जिनका विवरण तालिका संख्या–2 में दिया गया है।

(iii) दुकानों का क्षेत्रफल :
दुकानों का क्षेत्रफल तालिका संख्या–2 के कॉलम संख्या–4 में दर्शाया गया है।

(iv) दुकानों की संख्या :
दुकानों की संख्या का विवरण तालिका संख्या–1 के कॉलम 9 में दर्शाया गया है। दुकानों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

(v) दुकानों का मूल्य :दुकानों का मूल्य तालिका संख्या–1 के कॉलम संख्या–6 में दर्शाया गया है।

4. **पात्रता :**

(i) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ii) आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक वयस्क हो तथा उसका विधिक व्यक्तित्व हो।

(iii) यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस ले सकता है।

5. **आवेदन कैसे करें :**

(i) <u>ऑफलाईन आवेदन</u>
आवेदन–पत्र/विवरण पुस्तिका नियम व शर्तों सहित दिनांक 01 05 2025 से 31.05. 2025 तक पंजाब नेशनल बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से रू0 1000/– के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। विधिवत् रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र धरोहर राशि, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार होगी, के साथ पंजाब नेशनल बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में बैंक के कार्य दिवस के दौरान दिनांक 31.05.2025 तक जमा कराये जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर के पक्ष में देय तथा बुलन्दशहर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं :–

- पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम बुलन्दशहर।
- पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन्स, बुलन्द ाहर।
- पंजाब नेशनल बैंक, सुभाष रोड, खुर्जा, बुलन्द ाहर।
- पंजाब नेशनल बैंक, गांधी गंज सिकन्द्राबाद, बुलन्द ाहर।
- पंजाब नेशनल बैंक, राजनगर गाजियाबाद।
- पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर–18 नोएडा।

(ii) **ऑनलाईन आवेदन :-**

ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट janhit.upda.in पर जाकर किया जा सकता है। इस पद्धति से भुगतान भी ऑनलाईन ही करना होगा। नियम व शर्तों सहित विस्तृत विवरण पुस्तिका उक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(iii) अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।

(iv) आवेदक को ऑफलाईन आवेदन पत्र पर स्व प्रमाणित कर पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाना आवश्यक होगा। आवेदक को आवेदन पर अपना आधार संख्या लिखना आवश्यक होगा तथा आधार कार्ड की छांयाप्रति संलग्न करनी होगी।

(v) आवेदक को आवेदन फार्म में अपना खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन के साथ अपने बैंक एकाउन्ट का निरस्त चैक/बैंक पास बुक की छाया प्रति संलग्न करना होगी।

(vi) आवेदक को रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा कि उसके अथवा उसके परिवार के पास बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी दुकान नहीं है तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक दुकान नहीं है।

6. **धरोहर राशि :**

(i) तालिका-1 के कालम संख्या 7, 8 में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ अनुच्छेद 5(i) में वर्णित बैंक की शाखाओं में से किसी भी शाखा में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या आवेदन में ऑनलाइन जमा करना होगा।

(ii) धरोहर राि में छूट हेतु :

राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षण श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्ति पात्र है।

7. **आवंटन प्रक्रिया :**

(i) लॉटरी ड्रॉ में सफल आवेदको को दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आरक्षण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ii) सफल आवेदक को आरक्षण-पत्र पंजीकृत डाक एवं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

(iii) आवेदक को आरक्षण पत्र में दिये गये विवरण के अनुसार आवंटित दुकान/व्यवसायिक स्पेस की धरोहर राशि को समायोजित करने के उपरान्त दुकान/व्यवसायिक स्पेस की कुल कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि (यानी आवंटन राशि) निर्धारित समय में जमा करानी होगी।

(iv) आरक्षण पत्र के अनुसार वांछित आवंटन राशि निर्धारित अवधि में जमा करने के उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

(v) लॉटरी ड्रॉ में सफल आवेदकों को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि बिना ब्याज के आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापिस कर दी जायेगी। सफल आवेदकों की धरोहर राशि सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।

8. **भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जाः**

(i) राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षित वर्ग के आवेदकों को पंजीकरण धनराशि रू0 1,00,000/— एवं अन्य आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि रू0 2,00,000/— आवेदन के साथ जमा करानी होगी।

(ii) आरक्षण पत्र जारी होने के 30 दिनों के अन्दर धरोहर राशि समायोजित करने के उपरान्त दुकान/व्यवसायिक स्पेस के कुल प्रीमियम /लागत का 25 %(यानी आवंटन राशि) जमा करानी होगी। यदि उपरोक्त वर्णित देय आवंटन राशि निर्धारित अवधि /विस्तारित अवधि के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आरक्षण निरस्त कर दिया जाएगा और धरोहर राशि के रूप में जमा की गई 10% धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(iii) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निम्न विकल्पों के रूप में जमा करानी होगी :—

प्लान—ए (एक मुश्त भुगतान)

अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि को आवंटन—पत्र की तिथि से 60 दिन के अन्दर (टी0डी0एस0 सहित) बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर दुकान/व्यवसायिक स्पेस की कुल कीमत पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 60 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर विलम्ब की दशा में 15 प्रतिशत पैनल ब्याज आवंटन तिथि से देय होगा एवं देय छूट समाप्त कर दी जायेगी।

प्लान—बी (किस्तों में भुगतान)

शेष राशि यानी दुकान/व्यवसायिक स्पेस की कुल कीमत का 75% आवंटन—पत्र निर्गम की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12 त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। ऐसी पहली किस्त आवंटन पत्र जारी होने की तारीख के तीन महीने के बाद आएगी। भुगतान विकल्प 2 के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति के बाद किश्त की देय तिथि से भुगतान की देय तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पैनल ब्याज देय होगा। नियत समय पर देय किश्त जमा करना आवंटी की जिम्मेदारी होगी।

(iv) प्लान—बी के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति पर किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पैनल ब्याज देय होगा।

(v) आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार आवंटी को देय धनराशि का एक प्रतिशत टी0 डी0 एस0 कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALB0116G में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(vi) यदि आवंटी द्वारा भुगतान प्लान—बी का चयन किया जाता है, परन्तु वह आरक्षण पत्र जारी होने के उपरान्त तथा 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित अवधि मे जमा होने के उपरान्त आवंटन पत्र की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सम्पत्ति का शेष 75 प्रतिशत मूल्य जमा कर देता है तो आंवटी द्वारा पूर्व में चयन किया गया प्लान—बी स्वतः ही प्लान—ए में परिवर्तित हो जायेगा।

(vii) यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है तो आगामी तिथि देय तिथि मानी जायेगी। आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी कार्यदिवस में प्राधिकरण के बैंक खाते में देय धनराशि जमा कर दें।

(viii) यदि आवेदक भुगतान प्लान–ए को अपनाता है, तो दुकान/व्यवसायिक स्पेस का कब्जापूर्ण भुगतान (10% लीज रेन्ट एवं कोई अन्य शुल्क यदि कोई हो) करने एवं आवंटी के पक्ष में पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त ही दिया जाएगा।

(ix) यदि आवेदक भुगतान प्लान–बी को अपनाता है, तो दुकान/व्यवसायिक स्पेस का कब्जा कुल कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने एवं 10% लीज रेन्ट शुल्क और अन्य शुल्क यदि कोई हो, अग्रिम रूप से जमा करने के उपरान्त, पंजीकृत अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराकर दिया जायेगा।

(x) प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषको की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में उपरोक्त सम्पत्ति की भूमि का मूल्य बढ़ता है, तो वह उच्चतम बोलीदाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम बोलीदाता/आवंटी से वसूल की जायेगी।

9. **पटटा–विलेख की शर्तें :**

(i) प्लान–ए के अन्तर्गत आवंटी को सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटित दुकान/व्यवसायिक स्पेस का प्रत्येक दशा में तीन माह के अन्दर अपने व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पट्टा–विलेख निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) प्लान–बी के अन्तर्गत आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने एवं 10%लीज किराया शुल्क और अन्य शुल्क अग्रिम रूप से जमा करने के उपरान्त आवंटित दुकान/व्यवसायिक स्पेस का प्रत्येक दशा में तीन माह के अन्दर अपने व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराना अनिवार्य होगा तथा दुकान/व्यवसायिक स्पेस के अन्तिम किश्त की भुगतान की तिथि से तीन माह के अन्दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पट्टा–विलेख निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) उक्त सम्पत्ति सफल आवदेकों को बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण के आवंटी के रुप में प्रदान की जायेगी, जिसके नियम एवं शर्तें बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये पट्टा–विलेख के आधार पर होंगी।

(iv) सम्पत्ति का उपयोग मास्टर प्लान एवं पट्टा–विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा।

(v) आवंटी को दुकान/व्यवसायिक स्पेस को उपविभाजित करने का अधिकार नहीं होगा एवं किसी अन्य दुकान/व्यवसायिक स्पेस के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।

(vi) आवंटी कब्जा–पत्र जारी होने की तिथि से समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर/अनुरक्षण प्रभार जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त नियमो, उप नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत भारित किये जायें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(vii) दुकान/व्यवसायिक स्पेस की देयता के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू–राजस्व की भाँति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।

(viii) किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर दुकान/व्यवसायिक स्पेस आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं दुकान/व्यवसायिक स्पेस का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार के प्रकरणों में दुकान/व्यवसायिक स्पेस के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।

(ix) दुकान/व्यवसायिक स्पेस पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध विधिसम्मत् नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण/सील आदि की कार्यवाही की जायेगी।

(x) प्राधिकरण द्वारा दुकान/व्यवसायिक स्पेस का कब्जा विकास कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा, जिसे पूरा होने में लगभग 06 माह का समय लगना सम्भावित है।

(xi) दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आवंटन ''जहां है, जैसा है'', के आधार पर होगा एवं आवंटी को दुकान/व्यवसायिक स्पेस का कब्जा भी "जहाँ है–जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(xii) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी को अपने खर्चे पर लेने होगें।

10. **स्टाम्प एवं अन्य शुल्क :**

दुकान/व्यवसायिक स्पेस का रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख/पट्टा विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क/अनुरक्षण प्रभार जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।

11 . **अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :**

(i) आवंटन, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(ii) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में बुलन्दशहर न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

(iii) यदि आवंटी निर्धारित अवधि में दुकान/व्यवसायिक स्पेस का अनुबन्ध विलेख/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराता है, तो निर्धारित तिथि से रू0 500/– प्रति माह चौकीदारी शुल्क आवंटी पर देय होगा।

(iv) शॉपिंग काम्पलेक्स की सार्वजनिक सुविधाओं यथा पानी, बिजली, लिफ्ट, प्रकाश व्यवस्था आदि के रख–रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा योजना प्रकाशन की तिथि से 02 वर्ष तक किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर आवंटियों को एशोसिएसन का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा एवं इसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त सुविधाओं के रख–रखाव हेतु शॉपिंग काम्पलेक्स का एशोसिएशन को हस्तान्तरण कर दिया जायेगा।

(v) पट्टा–विलेख निष्पादित होने के पश्चात् नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को हस्तान्तरित होने तक नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।

(vi) ऊपर तल पर निर्मित दुकानों की छत का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

(vii) दुकानों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

12. **समर्पण एवं निरस्तीकरण :**

दुकान/व्यवसायिक स्पेस का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

(i) यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कुल कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आरक्षण निरस्त करते हुए, उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

(ii) यदि आवंटी आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर दुकान/व्यवसायिक स्पेस का समर्पण करता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

(iii) यदि आवंटी आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात् दुकान/व्यवसायिक स्पेस का समर्पण/निरस्तीकरण करता है, तो दुकान/व्यवसायिक स्पेस की कुल कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

(iv) यदि आवंटी द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथियों में जमा नहीं करायी जाती है या दुकान/व्यवसायिक स्पेस की किश्तें आरम्भ होने के पश्चात् 03 किश्तों की अदायगी समय से नहीं करायी जाती है, तो दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आवंटन निरस्त करते हुए धारा–12 (iii) के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त सम्बन्धित सम्पत्ति को पुनः निस्तारण हेतु प्रस्तावित कर दिया जायेगा।

(v) सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।

13. **आय कोड :**

इस योजना में कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

14. **कोटा :**

(i) निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी, जो नीचे दिये गये प्रतिशत के अनुसार होगी :–

क्र0सं0	स्थान	कोटा कोड	कोटा
1	सामान्य वर्ग	01	–
2	अनुसूचित जाति	02	21%
3	अनुसूचित जन जाति	03	2%
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
5	रक्षा कार्मिक एवं सरक ारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो (क) रक्षा कार्मिक (ख) सरकारी कर्मचारी	 05 06	5%
6	(क) स्वतन्त्रता सेनानी (ख) सांसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	08 09	5%
7	(क) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी } (ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी (ग) उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी/स्थानीय निकाय (घ) उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी (ड) उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी (च) उ0प्र0 नगर एवं नियोजन के कर्मचारी (उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो) (छ) आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होने कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	10 11 12 13 14 15 16	2%
8	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	3%

(ii) दिव्यांगजन आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे के अन्तर्गत (शासनादेश संख्या 55/आठ–1–18– 185विविध/2010 दिनांक 15 .05.2018 के अनुसार) 05 प्रतिशत होरिजेन्टल तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा भरना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य यह है कि आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वरिष्ठ नागरिकों की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।

क्र0सं0	स्थान	कोटा कोड	कोटा(होरिजेन्टल)
1	वरिष्ठ नागरिक	SC	10%
2	दिव्यांगजन	PH	05%

(iii) यदि आरक्षित श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

(iv) शासनादेश दिनांक 12 .09.2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित के अन्तर्गत निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण में भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिक एवं उनके आश्रित भी सम्मिलित होंगे।

15. **सामान्य आवेदक :**

आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात् शेष दुकानों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कर दिया जायेगा। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक निर्धारित दुकानों के आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे दुकानों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने पत्र की मद संख्या–16 के अन्तर्गत कोड 01 भरें।

16. **ड्रा प्रक्रिया :**

(i) योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैन्यूअल/कम्प्यूटराइज्ड प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थल की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा, इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी दुकान/व्यवसायिक स्पेस विशेष हेतु क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

(ii) योजना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच होने के उप रान्त आवेदन पत्रों की सूची ड्रा से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाईट www.bkdaup.com पर तथा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन की अवधि के लिए आवेदकों से उक्त सूची में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति (यदि कोई हो) आमंत्रित करने हेतु प्रदर्शित की जायेगी। सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति व आवश्यक संशोधन हेतु आवेदक निर्धारित अवधि में लिखित रूप से आवेदन कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रविष्टि सूची के आधार पर ही अर्हता सम्बन्धी निर्णय लेकर ड्रा हेतु आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी।

17. **सफल आवेदक :**

(i) जिन आवेदकों को दुकान/व्यवसायिक स्पेस आवंटित नहीं हो पाते है और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए बुलन्दशहर –खुर्जा विकास प्राधिकरण के पास जमा है, उन्हें धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। अवधि की गणना इस प्रयोजन हेतु योजना बन्द होने की तिथि से की जायेगी।

(iii) यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है, तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि ड्रा एक वर्ष के बाद किया जाता है, तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3 .5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

(iv) असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि नोडल शाखा पंजाब ने ानल बैंक, यमनुापुरम, बुलन्दशहर द्वारा जमा की गयी राशि सीधे इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा आवेदन फार्म में उल्लेखित बैंक खाते में वापस की जायेगी। रिफंड हेतु किसी आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। आवेदकों को धनराशि वापसी के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।

(v) बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्द ाहर द्वाराधरोहर राशि की वापसी के प्रार्थना पत्र सीधे स्वीकार नहीं करता है, न ही इस विषय में कोई पत्राचार स्वीकार होगा।

18. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना :

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गयी हैं अथवा उसने किसी वास्तविक तथ्यों को छुपाया है, तो पंजीकरण के साथ–साथ दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

19. विक्रय पद्धति :

दुकान/व्यवसायिक स्पेस का आवंटन लीज आधार पर किया जायेगा। लीजरेन्ट अधिभार भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कब्जे से पूर्व प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

उपाध्यक्ष
बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

तालिका संख्या–1

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं योजना कोड	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति कोड	दुकानों का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	दुकानों का अनुमानित मूल्य (रू0 में)	पंजीकरण धनराशि (रू0 में)		दुकानों की अनुमानित संख्या
						राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षण श्रेणी	अन्य सभी आवेदकों हेतु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ट्रान्सपोर्ट नगर शॉपिंग कॉम्पलेक्स बुलन्दशहर योजना कोड–TPSC	दुकान/ व्यवसायिक स्पेस	0001	10.62 से 26.04	2067714.00 से 6080340.00	100000.00 (एक लाख रूपये मात्र)	200000.00 (दो लाख रूपये मात्र)	99

तालिका संख्या–2
दुकानों का विवरण

क्र0सं0 (1)	तल (2)	सम्पत्ति संख्या (3)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में) (4)	आरक्षित दर (रू0 प्रति वर्ग मी0)(5)	आरक्षित मूल्य (6)
1	भूतल	G.F.-01	13.90	233500.00	3245650.00
2	भूतल	G.F.-02	14.24	233500.00	3325040.00
3	भूतल	G.F.-03	14.23	233500.00	3322705.00
4	भूतल	G.F.-04	14.23	233500.00	3322705.00
5	भूतल	G.F.-05	14.23	233500.00	3322705.00
6	भूतल	G.F.-06	14.23	233500.00	3322705.00
7	भूतल	G.F.-07	14.23	233500.00	3322705.00
8	भूतल	G.F.-08	14.41	233500.00	3364735.00
9	भूतल	G.F.-09	14.39	233500.00	3360065.00
10	भूतल	G.F.-10	14.39	233500.00	3360065.00
11	भूतल	G.F.-11	14.39	233500.00	3360065.00
12	भूतल	G.F.-12	20.66	233500.00	4824110.00
13	भूतल	G.F.-13	23.66	233500.00	5524610.00
14	भूतल	G.F.-14	14.65	233500.00	3420775.00
15	भूतल	G.F.-15	14.62	233500.00	3413770.00
16	भूतल	G.F.-16	14.64	233500.00	3418440.00
17	भूतल	G.F.-17	10.62	233500.00	2479770.00
18	भूतल	G.F.-18	14.39	233500.00	3360065.00

19	भूतल	G.F.-19	26.04	233500.00	6080340.00
20	भूतल	G.F.-20	14.02	233500.00	3273670.00
21	भूतल	G.F.-21	14.02	233500.00	3273670.00
22	भूतल	G.F.-22	14.02	233500.00	3273670.00
23	भूतल	G.F.-23	14.02	233500.00	3273670.00
24	भूतल	G.F.-24	14.02	233500.00	3273670.00
25	भूतल	G.F.-25	14.02	233500.00	3273670.00
26	भूतल	G.F.-26	14.38	233500.00	3357730.00
27	भूतल	G.F.-27	14.39	233500.00	3360065.00
28	भूतल	G.F.-28	14.39	233500.00	3360065.00
29	भूतल	G.F.-29	14.39	233500.00	3360065.00
30	भूतल	G.F.-30	14.39	233500.00	3360065.00
31	भूतल	G.F.-31	14.39	233500.00	3360065.00
32	भूतल	G.F.-32	14.39	233500.00	3360065.00
33	भूतल	G.F.-33	15.13	233500.00	3532855.00
34	प्रथम तल	F.F. -01	13.90	194700.00	2706330.00
35	प्रथम तल	F.F. -02	14.24	194700.00	2772528.00
36	प्रथम तल	F.F. -03	14.23	194700.00	2770581.00
37	प्रथम तल	F.F. -04	14.23	194700.00	2770581.00
38	प्रथम तल	F.F. -05	14.23	194700.00	2770581.00
39	प्रथम तल	F.F. -06	14.23	194700.00	2770581.00
40	प्रथम तल	F.F. -07	14.23	194700.00	2770581.00
41	प्रथम तल	F.F. -08	14.41	194700.00	2805627.00
42	प्रथम तल	F.F. -09	14.39	194700.00	2801733.00
43	प्रथम तल	F.F. -10	14.39	194700.00	2801733.00
44	प्रथम तल	F.F. -11	14.39	194700.00	2801733.00
45	प्रथम तल	F.F. -12	20.66	194700.00	4022502.00
46	प्रथम तल	F.F. -13	23.66	194700.00	4606602.00

47	प्रथम तल	F.F. -14	14.65	194700.00	2852355.00
48	प्रथम तल	F.F. -15	14.62	194700.00	2846514.00
49	प्रथम तल	F.F. -16	14.64	194700.00	2850408.00
50	प्रथम तल	F.F. -17	10.62	194700.00	2067714.00
51	प्रथम तल	F.F. -18	14.39	194700.00	2801733.00
52	प्रथम तल	F.F. -19	26.04	194700.00	5069988.00
53	प्रथम तल	F.F. -20	14.02	194700.00	2729694.00
54	प्रथम तल	F.F. -21	14.02	194700.00	2729694.00
55	प्रथम तल	F.F. -22	14.02	194700.00	2729694.00
56	प्रथम तल	F.F. -23	14.02	194700.00	2729694.00
57	प्रथम तल	F.F. -24	14.02	194700.00	2729694.00
58	प्रथम तल	F.F. -25	14.02	194700.00	2729694.00
59	प्रथम तल	F.F. -26	14.38	194700.00	2799786.00
60	प्रथम तल	F.F. -27	14.39	194700.00	2801733.00
61	प्रथम तल	F.F. -28	14.39	194700.00	2801733.00
62	प्रथम तल	F.F. -29	14.39	194700.00	2801733.00
63	प्रथम तल	F.F. -30	14.39	194700.00	2801733.00
64	प्रथम तल	F.F. -31	14.39	194700.00	2801733.00
65	प्रथम तल	F.F. -32	14.39	194700.00	2801733.00
66	प्रथम तल	F.F. -33	15.13	194700.00	2945811.00
67	द्वितीय तल	S.F. -01	13.90	204400.00	2841160.00
68	द्वितीय तल	S.F. -02	14.24	204400.00	2910656.00
69	द्वितीय तल	S.F. -03	14.23	204400.00	2908612.00
70	द्वितीय तल	S.F. -04	14.23	204400.00	2908612.00
71	द्वितीय तल	S.F. -05	14.23	204400.00	2908612.00
72	द्वितीय तल	S.F. -06	14.23	204400.00	2908612.00
73	द्वितीय तल	S.F. -07	14.23	204400.00	2908612.00
74	द्वितीय तल	S.F. -08	14.41	204400.00	2945404.00

75	द्वितीय तल	S.F.-09	14.39	204400.00	2941316.00
76	द्वितीय तल	S.F.-10	14.39	204400.00	2941316.00
77	द्वितीय तल	S.F.-11	14.39	204400.00	2941316.00
78	द्वितीय तल	S.F.-12	20.66	204400.00	4222904.00
79	द्वितीय तल	S.F.-13	23.66	204400.00	4836104.00
80	द्वितीय तल	S.F.-14	14.65	204400.00	2994460.00
81	द्वितीय तल	S.F.-15	14.62	204400.00	2988328.00
82	द्वितीय तल	S.F.-16	14.64	204400.00	2992416.00
83	द्वितीय तल	S.F.-17	10.62	204400.00	2170728.00
84	द्वितीय तल	S.F.-18	14.39	204400.00	2941316.00
85	द्वितीय तल	S.F.-19	26.04	204400.00	5322576.00
86	द्वितीय तल	S.F.-20	14.02	204400.00	2865688.00
87	द्वितीय तल	S.F.-21	14.02	204400.00	2865688.00
88	द्वितीय तल	S.F.-22	14.02	204400.00	2865688.00
89	द्वितीय तल	S.F.-23	14.02	204400.00	2865688.00
90	द्वितीय तल	S.F.-24	14.02	204400.00	2865688.00
91	द्वितीय तल	S.F.-25	14.02	204400.00	2865688.00
92	द्वितीय तल	S.F.-26	14.38	204400.00	2939272.00
93	द्वितीय तल	S.F.-27	14.39	204400.00	2941316.00
94	द्वितीय तल	S.F.-28	14.39	204400.00	2941316.00
95	द्वितीय तल	S.F.-29	14.39	204400.00	2941316.00
96	द्वितीय तल	S.F.-30	14.39	204400.00	2941316.00
97	द्वितीय तल	S.F.-31	14.39	204400.00	2941316.00
98	द्वितीय तल	S.F.-32	14.39	204400.00	2941316.00
99	द्वितीय तल	S.F.-33	15.13	204400.00	3092572.00

आवेदनपत्र संख्या............
Form Serial No.

बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्द हर

यमुनापुरम, कॉम्पलेक्स, बुलन्दशहर – 203001 (उत्तर प्रदे ।)

BULANDSHAHAR-KHURJA DEVELOPMENT AUTHORITY

Yamunapuram, Bulandshahar - 203001 (Uttar Pradesh)

Affix passport size photograph self attested

आवेदक स्वप्रमाणित फोटो चिपकाए

Transport Nagar Shoping ComplexScheme

ट्रान्सपोर्ट नगर शॉपिंग कॉम्पलेक्स दुकानों की योजना

(APPLICATION FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS, INCOMPLETE AND INCORRECT APPLICATIONS WILL BE SUMMARILY REJECTED. NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED IN THIS REGARD

आवेदन पत्र बड़े अक्षरों में भरें। अपूर्ण और अशुद्ध आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा।

1. आवेदन जमा करने की दिनांक / Date of submit form | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | ode

2. योजना कोड | T | P | S | C |

3. सम्पत्ति श्रेणी / Property Category | दुकान / व्यवसायिक स्पेस |

4. सम्पत्ति कोड / Property Code | 0 | 0 | 0 | 1 |

5. बैंक का नाम / Name of Bank ....

6. दिनांक / Date | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

7. आवेदक का नाम / Name of the Applicant

(भविष्य में पत्र व्यवहार या राशि की अदायगी केवल आवेदक के नाम में की जायेगी)
Any future correspondence or refunding shall be made in the name of the applicant only

8. पिता का नाम / पति का नाम
Father / Husband's Name

9.पत्र व्यवहार का पता
Name of the Applicaant

पिन कोड / Pin Code

दूरभाष संख्या / मो0 नम्बर / Phone/Mobile no

10. स्थाई पता / Permanent Address

10A. Email Id ____________________

11. आधार संख्या (आधार की छांयाप्रति संलग्न करें)

12. पैन नं0 (पैन कार्ड की छांयाप्रति संलग्न करें)

13. आयु / Age वर्ष / Year

14. लिंग / Sex

15. वैवाहिक स्थिति / Marital Status

16. कोटा कोड / Quota Code

17. व्यवसाय कोड / Business Code

18. भुगतान कोड / Payment Code

19. क्या आपके पास बुलन्दशहर विकास क्षेत्र में कोई सम्पत्ति है? यदि हाँ तो कृपया विवरण दें।
Weather you possess any property in Bulandshahar development area? If yes Please give details

20. एच कोटा कोड / H quota Code

____

21. पंजीकरण राशि का विवरण / Details of Registration Amount ____________________
ड्राफ्ट / पे–ऑर्डर द्वारा रू0 / Draft/Pay Order ____________________ संख्या / Number ____________________
दिनांक / Date ____________________ पारित किया गया / Drown on ____________________

22. संलग्न दस्तावेजों की सूची / List of Documents Attached (✔ Tick)
i. Registration Money, Demand Draft No. ____________________ Date ____________________
ii. Declaration on stamp paper of Rs. 10/- (as per directions given overleaf of the application) ____________________
iii. Aadhar Card ____________________ iv. Pan Card ____________________ v. Reservation Certificate (if applicable) ____________________
iv. Cancled Cheuqe or bank Passbook ____________________ v. Any other document ____________________

23. आवेदक का बैंक खाता संख्या / Applicant's Bank A/C No. ____________________
बैंक शाखा का नाम व पता / Bank Branch Name & Address ____________________
आई0एफ0एस0सी0 कोड / IFSC Code ____________________

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of applicant

आवेदन पत्र भरने के लिये मार्गदर्शन

1. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर आवेदक द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जिसे 10 रुपये मूल्य के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा किसी पब्लिक नोटेरी द्वारा सत्यापित करा कर विशेष अटॉर्नी अधिकार दिया गया हो किया जाना चाहिए।
2. आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग किया जाना चहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नम्बर को ही लेखे में लिया जायेगा।
3. आवेदन हिन्दी अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरो में ही भरा जाना चाहिए तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. विभिन्न मदों के कोड नम्बर स्कीम ब्रोशर में दिए गए हैं।
5. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। इस सम्बंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
6. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।
7. नाम/पता के लिए प्रत्येक दो शब्दो के बीच में एक खाना खाली छोडें।
8. आवंटी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में, आवेदन पत्र संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए।
9. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
10. आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) मद–1 : आवेदन पत्र जमा करने की तिथि लिखें।

(2) मद–5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 : नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड, फोन नं0, पैन नं0, आधार संख्या : ये स्वयं सुस्पष्ट है।

(3) मद–13 आयु : इस मद में आयु वर्षों में लिखे।
उदाहरणार्थ – 32 वर्ष । (किसी एक वर्ष का कोई अंश न लिखा जाये।)

(4) मद–14 : लिंग : इस मद में नीचे दिए गए अक्षरों से कोई एक जो आप पर लागू हो भरें। यह सूचना केवल प्रथम नाम/ एकल आवेदक के सन्दर्भ में होनी चाहिए।

पुरुष के लिए –	एम
महिला के लिए –	एफ
अन्य (कम्पनियों आदि) के लिए–	ओ

(5) मद–15– वैवाहिक स्थिति : इस मद में नीचे दिये गए अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो भरें। यह सूचना केवल प्रथम नाम/एकल आवेदक के सन्दर्भ में होनी चाहिए।

विवाहित के लिए –	एम
अविवाहित के लिए –	एस
विधवा/ विधुर के लिए –	डब्लू
अन्य (कम्पनियों आदि) के लिए –	एन

(6) मद–16 : कोटा कोड : जैसा कि अनुच्छेद 14(i) में विवरण दिया गया है कुछ श्रेणी के आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गई हैं। आवेदक अपनी श्रे ाी का कोटा कोड भरें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित श्रेणी में आते हो तो केवल वही कोड लिखें जिस श्रेणी में आप रहना चाहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है , कोटा के अधीन आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्यथा आपका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में माना जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कोटा कोड के स्थान पर 01 कोड भरना होगा।

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/स्वतंत्रता सेनानी एवं दिव्यांग के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 सिटि बोर्ड, उ0प्र0 नगर निगम/स्थानीय निकाय, उ0प्र0 जल संस्थान, आवास विकास परिषद, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मी एवं आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मी के कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्रों के साथ अपने नियोजक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ग) एम.पी., एम .एल.ए., एम .एल.सी. श्रेणी के आवेदकों को अपने शासकीय पत्र शीर्ष पर एक प्रमाण–पत्र संलग्न करना चहिए एवं ''सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों एवं डिफैन्स कर्मचारियों जो कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं,'' श्रेणी के अधीन आने वाले आवेदकों को अपने नियोजक का सेवा प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

(7) मद संख्या – 17 : व्यवसाय कोड : व्यवसाय कोड 02 अंको मे है, जिनकी सूची इस पुस्तिका में प्रकाशित की गयी है।

(9) मद संख्या – 18 भुगतान कोड योजना : एक मुश्त भुगतान हेतु भुगतान कोड A तथा किश्तों के भुगतान हेतु भुगतान कोड B भरें।

(10) मद संख्या–19, 21, 22 एवं 23 यह मदें अपने आप में सुस्पष्ट है।

(11) मद संख्या – 20 एच कोटा कोड : से तात्पर्य है कि मद संख्या–16 के अतिरिक्त यदि दिव्यांग अथवा वरिष्ठ नागरिक है तो वह पुस्तिका के अनुच्छेद 14 (ii) के अनुसार कोटा कोड भरें।

(12) आवेदक के हस्ताक्षर : ये स्वयं सुस्पष्ट है। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(13) योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पते के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तालिका–3 : आजीविका / व्यवसाय एवं उनके कोड

सेवा	कोड
राज्य / केन्द्रीय सरकार में सेवा	10
सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा	11
निजी क्षेत्र में सेवा	12
सशस्त्र सेनाओं में सेवा	13
विद्यालयों मे सेवा	14
महाविद्यालयों मे सेवा	15
घरेलू सेवा	16
अन्य सेवा	19
व्यवसाय	
व्यवसायी	20
व्यवसाय कार्यकारी / निदेशक	21
व्यवसाय स्वामी	22
उद्योगपति	23
अन्य व्यवसाय	29
कृषि	
कृषक	30
किसानकृषि मजदूरी	31
स्वतः रोजगारी	
स्वतः रोजगारी डॉक्टर	40
स्वतः रोजगारी इन्जीनियर	41
स्वतः रोजगारी एडवोकेट	42
स्वतः रोजगारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	43
स्वतः रोजगारी विक्रेता	44
स्वतः रोजगारी एजेंट	45
अन्य स्वतः रोजगारी व्यक्ति	49
विभाग / फर्म	
सरकारी विभाग	50
सरकारी निकाय	51
लिमिटेड / प्रा0 लि0 कम्पनी	52
साझेदारी फर्म	53
धर्मार्थ संस्था	54
अन्य विभाग / फर्म / संस्था	59
अन्य	
उपर्युक्त से पृथक आजीविकाएं	98

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रू0 10/– के जनरल स्टाम्प पर अंकित कराकर नोटेरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा)

ापथ–पत्र का प्रारूप

नोटेरी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो

समक्ष उपाध्यक्ष, बुलन्द ाहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्द ाहर

मैं ....पिता/पति ....

आयु..निवासी..

शपथ पूर्वक यह बयान प्रमाणित करता/करती हूँ कि:–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. आवेदक/आवेदिका आवेदन करने की दिनांक को वयस्क हैं।
3. भूमि अर्जन के सम्बन्ध में न्यायालय के आदे ा द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारणों से आवंटित दुकान के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी।
4. मैं उक्त योजना में आवंटित दुकान के मूल्य का भुगतान करने में सक्षम हूँ। मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयताओं का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारण से मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदित योजना से संबंधित प्रत्येक प्रकरण पर उपाध्यक्ष, बुलन्द ाहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा, जो मुझे तथा मेरे परिवार को मान्य होगा।
6. उपाध्यक्ष, बुलन्द ाहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा आवेदित योजना से संबंधित किसी भी शर्त में सं ाोधन का अधिकार होगा, जो मुझे तथा मेरे परिवार को मान्य होगा।
7. मेरे द्वारा आवेदित दुकान का प्रयोग केवल व्यवसायिक, जिस भी श्रेणी में एवं जिन शर्तो पर आवंटन किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिए मेरे तथा मेरे परिवार द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जिसकी चुनौती कालांतर में, मेरे व मेरे परिवार द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं दी जायेगी।
8. मैं आवंटन की सभी शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें तथा जमा धनरा ि पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
9. माननीय न्यायालय/ ाासन/प्राधिकरण द्वारा, जो भी निर्दे ा समय–समय पर दिये जायेंगे, मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
10. यह कि शपथकर्ता, प्राधिकरण द्वारा दुकान निरस्त किये जाने पर जमा धनरा ि के संबंध में ब्याज क्लेम का अधिकारी नहीं होगा।
11. आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य सत्य हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :–   (आवेदक के हस्ताक्षर)

FIRST FLOOR PLAN

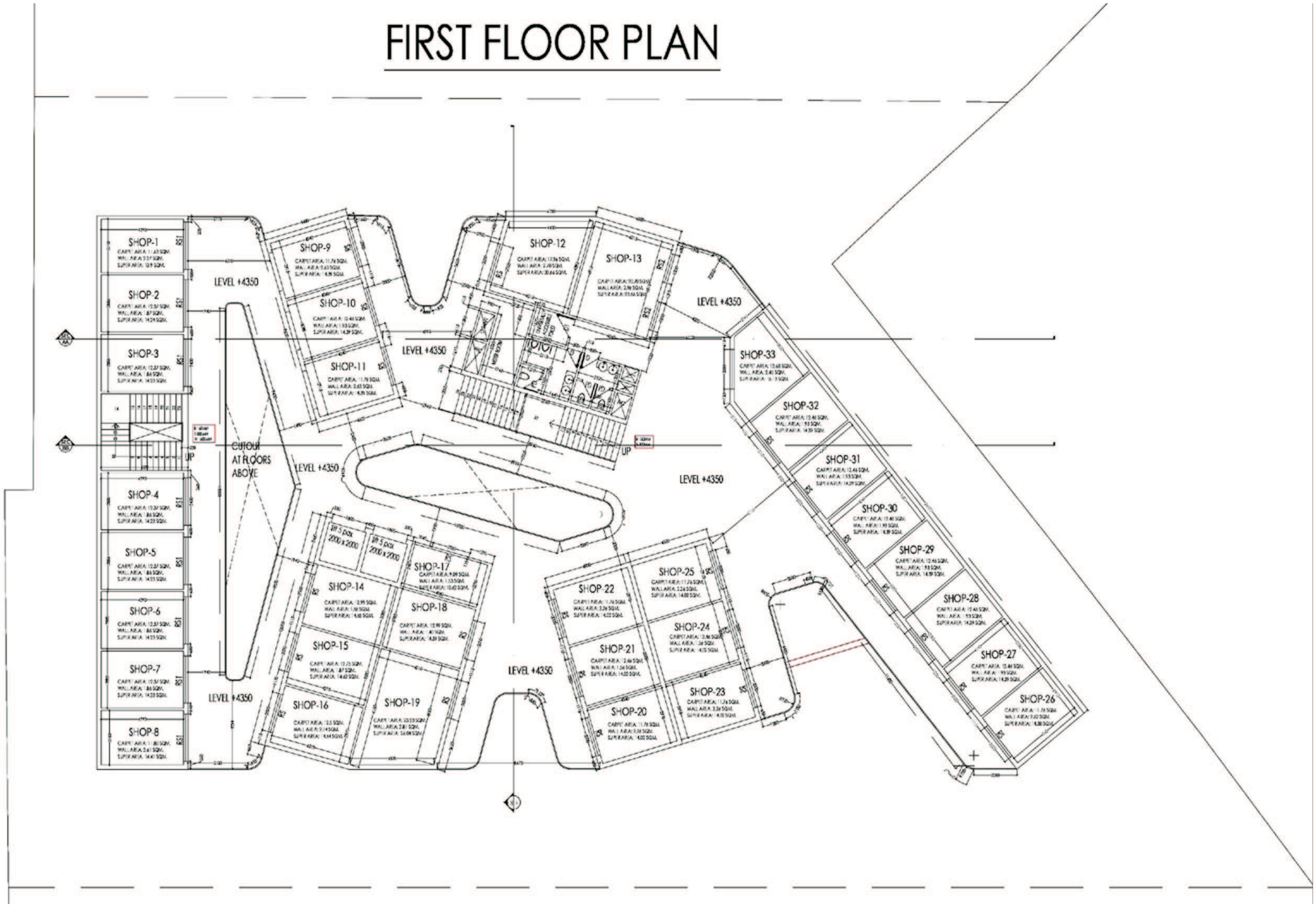

GROUND FLOOR PLAN

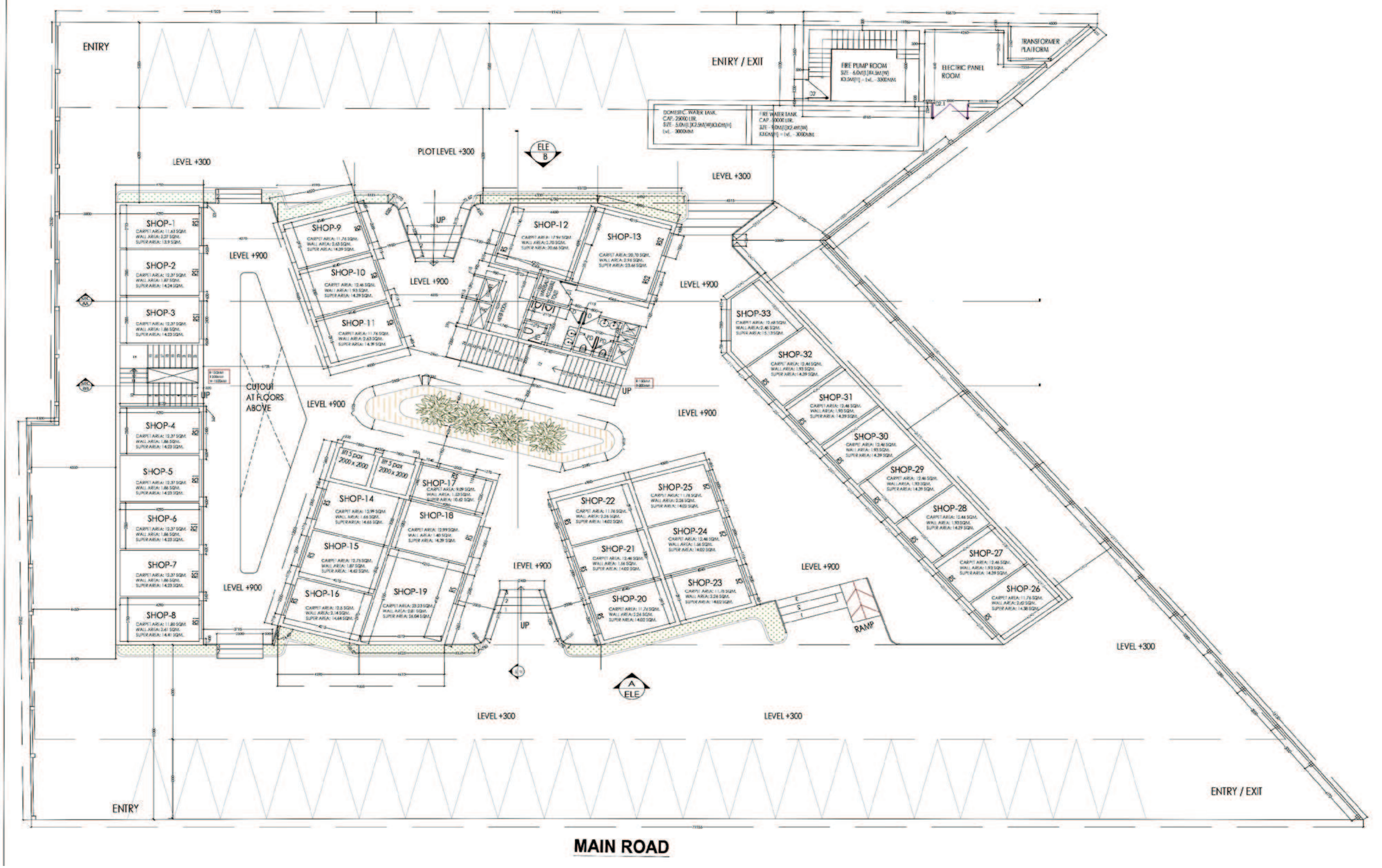

SECOND FLOOR PLAN

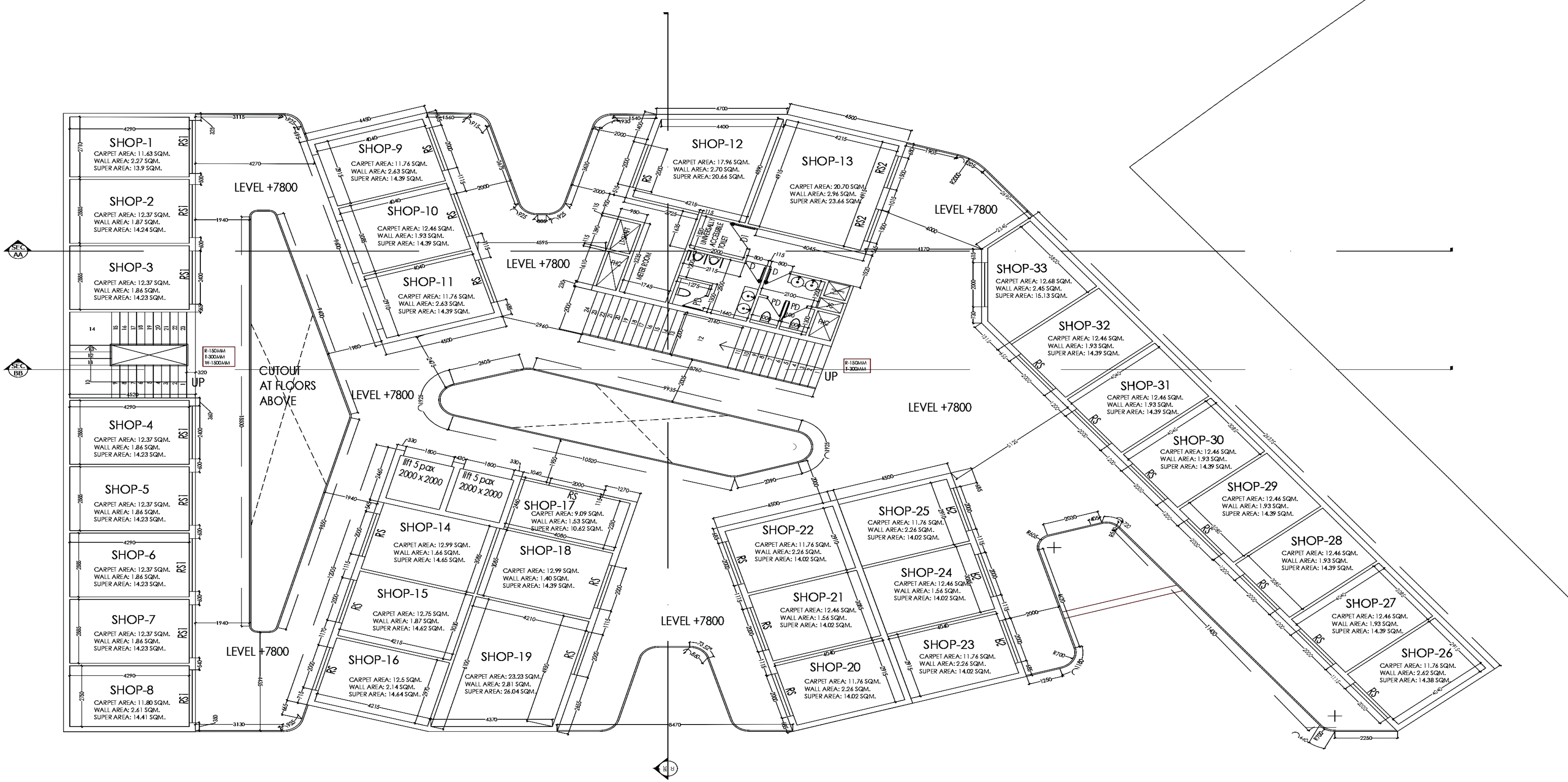

बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण

बुलन्दशहर

यमुनापुरम कॉम्पलेक्स, बुलन्दशहर, फोन : 05732-282437

www.bkdaup.com

मूल्य रुपये -1000/-
(जी.एस.टी. सहित)

क्लीन सिटी - ग्रीन सिटी

स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत

Print@Vikasbsr Dt. 30/04/2025